

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 2019/2026

शिव प्रसाद उर्फ नान्हू

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – महेंद्र पाल चौहान, नीरज तिवारी

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 13

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य हेतु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. इस जमानत प्रार्थनापत्र द्वारा प्रार्थी, जो थाना- कोतवाली देहात, जनपद- बलरामपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 / भारतीय दंड संहिता की धारा 366, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) / भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ड के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 22 वर्ष 2026 में संलिप्त है, विचारण के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग कर रहा है।
3. दिनांक 26.01.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोजन पक्ष के कथन के अनुसार, जैसा कि सूचनाकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) एवं 87 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई के अंतर्गत दर्ज कराई गई है, यह आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी ने सूचनाकर्ता की 16 वर्षीय पुत्री को विवाह का झूठा झांसा देकर बहलाया-फुसलाया और उसके साथ भाग गया।
4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि कथित पीड़िता ने अपना बयान पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि उसने अपना घर अकेले छोड़ा था और लखनऊ पहुँची थी और उसके बाद बलरामपुर के झारखंडी स्टेशन वापस आ गई। इसके बाद दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

29.01.2026 को, चिकित्सीय परीक्षण के समय कथित पीड़िता द्वारा एक और बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि वह प्रार्थी के साथ ट्रेन से चली गई थी और लखनऊ पहुँची जहाँ कथित पीड़िता और प्रार्थी ने मंदिर में विवाह संपन्न किया और वे पति-पत्नी के रूप में प्रार्थी के मित्र के कमरे में 3-4 दिनों तक रहे और जब उसे अपने परिवार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बारे में पता चला, तो वह वापस आ गई और कथित पीड़िता द्वारा दिनांक 03.02.2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दिए गए अंतिम बयान में, उसने यह कहा था कि वह प्रार्थी से प्रेम करती है और विवाह करने के वायदे पर उसके साथ भाग गई थी और वे लखनऊ में स्टेशन के पास एक कमरे में 4-5 दिनों तक रहे और इस अवधि के दौरान, प्रार्थी ने कथित पीड़िता के साथ 3-4 बार शारीरिक संबंध बनाए थे, इसलिए अलग-अलग चरणों में कथित पीड़िता के बयान में तात्त्विक विरोधाभास हैं और शील भंग करने का आरोप उसके माता-पिता को सौंपे जाने के बाद लगाया गया था और उससे पूर्व, प्रार्थी द्वारा शील भंग करने का कोई आरोप नहीं था।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि कथित पीड़िता के मौखिक साक्ष्य, दिनांक 29.01.2026 को हुए चिकित्सीय परीक्षण (अर्थात् प्रार्थी की कथित बरामदगी की तारीख) की पुष्टि नहीं करते हैं। कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं थी, 'योनिच्छद' पुराना फटा हुआ और ठीक हो चुका था। यदि चिकित्सीय परीक्षण के 3-4 दिनों के भीतर कोई शारीरिक संबंध विकसित हुए होते, तो ऐसी रिपोर्ट संभव नहीं है।

6. यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के स्वीकृत वाद के अनुसार कथित पीड़िता निरक्षर या अशिक्षित है, इसलिए उसकी आयु चिकित्सकीय रिपोर्ट से देखी जा सकती है जहाँ उसे 18-19 वर्ष की आयु का अर्थात् वयस्क दर्शित किया गया है।

7. यह भी तर्क दिया गया है कि विवेचना अधिकारी ने जांच के दौरान, जो अभी भी जारी है, पाया है कि प्रार्थी के मोबाइल की जब्ती के बाद कोई वीडियो नहीं मिला है और अग्रिम विवेचना के लिये इसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया है।

8. यह भी तर्क दिया गया है कि आज की तारीख तक प्रार्थी के विरुद्ध ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराध बनता हो।

9. प्रार्थी को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है अन्यथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्राप्त पूर्ण निर्देशों के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया है कि कथित पीड़िता के बयान में आरोप हैं, लेकिन वे प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का खंडन करने में असमर्थ हैं।

11. यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत कथित पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) / भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अंतर्गत आरोप जोड़ा गया है, जो प्रारंभ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय नहीं था।

12. संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और वाद की पत्रावली के अवलोकन के पश्चात, प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि भिन्न-भिन्न चरणों में कथित पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है और उसने अपने माता-पिता को सुपुर्दगी सौंपे जाने के बाद अपने बयान में सुधार करते हुए आरोप लगाया है। चिकित्सकीय रिपोर्ट भी प्रत्यक्ष रूप से मौखिक साक्ष्यों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, अतः प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिये यह एक उपयुक्त मामला है।

13. तदनुसार, यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक- शिव प्रसाद उर्फ नान्हू को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, उसके द्वारा एक व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) प्रार्थी विचारण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iv) प्रार्थी कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(v) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन अथवा धमकी नहीं देगा या उससे कोई वायदा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) प्रार्थी या तो व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) प्रार्थी साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, किसी स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा।

(viii) प्रार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

15. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय हेतु इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प चुनने को स्वतंत्र होगा।

16. चूंकि यह आदेश प्रार्थी की जमानत पर रिहाई से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

24 मार्च, 2026

नितेश